राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विद्युत विभाग)
दिल्ली सचिवालय, 8वां लेवल, बी-विंग
नई दिल्ली-110002

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में दो 'प्रोटेम' सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, उनके आदेश दिनांक 06,11.2023 के तहत W.P.(C) No. 1222/2023 के मामले में जिसका शीर्षक रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य है, चयन समिति ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के **दो प्रोटेम सदस्यों** की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगने का निर्णय लिया है।

योग्यताः

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसके पास पर्याप्त ज्ञान हो और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 84(1) के अनुसार इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता दिखाई हो।

सदस्य की सेवा के नियम और शर्तेंः प्रोटेम सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें निम्नानुसार शासित होंगीः -

(1) सदस्य जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली संविधान पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही के परिणाम तक पद पर बने रहेंगे।

(2) आवेदक के पास केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या वैधानिक निकायों, पीएसयू या विद्युत बोर्डों में न्यूनतम 20 वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव होना चाहिए, आवेदक ने 7वें सीपीसी के 15वें पे लेवल पर वेतन प्राप्त किया हो।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89 के अनुसार, सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रहेगा। 08.12.2023 को आवेदक की आयु 62 वर्ष पूरी न हो यानी 08.12.1961 को या उसके बाद पैदा हुए लोग ही आवेदन करने के पात्र हैं।

(4) सदस्य, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, डीईआरसी (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 में निर्धारित अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उसका पालन करेगा।

(5) सदस्य :

(क) उपयुक्त सरकार को कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर अपना पद छोड़ सकता है, या

(ख) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 90 के प्रावधानों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।

(6) सदस्य को अन्य लागू भत्तों के साथ रु. 2,25,000/- (रुपये दो लाख पच्चीस हजार) (निश्चित) प्रति माह का वेतन मिलेगा बशर्ते कि यदि सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा आहरित पेंशन की राशि घटा दी जायेगी।

(7) वित्तीय या अन्य हित रखने वाले व्यक्ति जो आयोग के सदस्य के रूप में अपने कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हैं, पात्र नहीं हैं।

आवेदन कैसे करें और आवेदन की अंतिम तिथि

पात्र आवेदक को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के प्रोटेम सदस्य के पद के लिए विस्तृत बायोडाटा के साथ अपना आवेदन **power.dercappointments@gmail.com** पर ईमेल के माध्यम से जमा करना होगा, और सचिव, विद्युत विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा इसकी एक भौतिक प्रति भेजनी होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **08 दिसंबर, 2023** है।

(एल.एल. मीणा)
उप. निदेशक (विद्युत)
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

DIP/Shabdarth/Classified/0222/23-24